(367)

सं0 सं0–टी–3/भवन–24/08–......813...../

**बिहार सरकार**

**श्रम संसाधन विभाग**

**निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।**

**प्रेषक,**

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

**सेवा में,**

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

/प ट ना, दिनांक–...28.../...03.../2017

**विषयः–** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कल्याण बिगहा (नालन्दा) के परिसर में 100 शैय्या वाले पुरूष छात्रावास भवन एवं 50 शैय्या वाले महिला छात्रावास भवन के निर्माण कार्य एवं फर्नीचर के क्रय तथा फर्नीशिंग हेतु कुल राशि **रू0 725.00 लाख (सात करोड़ पच्चीस लाख)** मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

**महाशय,**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कल्याण बिगहा (नालन्दा) के परिसर में 100 शैय्या वाले पुरूष छात्रावास भवन एवं 50 शैय्या वाले महिला छात्रावास भवन के निर्माण कार्य एवं फर्नीचर के क्रय तथा फर्नीशिंग हेतु कुल राशि **रू0 725.00 लाख (सात करोड़ पच्चीस लाख)** मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–352, दिनांक–16/02/17 द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत प्रदान की जाती है, जिसका विवरणी निम्नवत् है:–

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | राशि |
|---|---|---|
| 1 | **Buildings** | |
| | (A) 100 Bed Boys Hostel (G+3) | 4,40,18,563.00 |
| | (B) 50 Bed Girls Hostel (G+3) | 1,86,66,985.00 |
| | **SUM-** | 6,26,85,547.00 |
| 2 | Contingency- @1.0% up to Rs. 100 Lac | 1,00,000.00 |
| | @0.5% above Rs. 100 Lac | 2,63,428.00 |
| 3 | Extra for Furniture & Furnishing L.S. @15%of SUM | 94,02,832.00 |
| | **Total-** | **7,24,51,807.00** |
| | **Say Rs.-** | **725.00 Lac** |

2– इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60–अन्य भवन, लघु शीर्ष 051–निर्माण, माँग संख्या–3, उप शीर्ष–0112 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड–**P4059600510112,** राज्य योजना स्कीम कोड **BUI-5579** के विषय शीर्ष–5301 मुख्य निर्माण कार्य से वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्रावधानित राशि रू0 5700.00 लाख से की जायेगी। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक– 17–04–1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4– इस राशि की निकासी जिला कोषागार, बिहार शरीफ (नालन्दा) से की जायेगी।

5– कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7– संचिका संख्या–टी–3/भवन–24/08 के पृष्ठ–122/टि0 पर प्रधान सचिव तथा पृष्ठ–122/टि0 पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

संयुक्त सचिव, 27/3/17
श्रम संसाधन विभाग

366



ज्ञापांक– टी–3/भवन–24/08–......815...... /प ट ना, दिनांक–...28.../...03.../2017

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव, 28/3/17
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–3/भवन–24/08–......815...... /प ट ना, दिनांक–...28.../...03.../2017

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, बिहार शरीफ (नालन्दा)/जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार शरीफ (नालन्दा)/कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, बिहार शरीफ (नालन्दा)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्यालय/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कल्याण बिगहा (नालन्दा)/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव, 28/3/17
श्रम संसाधन विभाग